बिहार विधान-सभा वादवृत्त

(भाग—१ कार्यवाही-प्रश्नोत्तर)

वृहस्पतिवार, तिथि २१ जुलाई, १९७७

विषय-सूची

	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	
अल्प-सूचित प्रश्नोत्तर संख्याध— १०१ एवं १०२ ...	१—१२
तारांकित प्रश्नोत्तर संख्या— ८८, ९१, ३७१, ३७७ ३७८, ३८१, ३८२, ३८४, ३८८, ३९१, ४००, ४२०, ४२१, ४२२, ४२५, ४२६, ४४०, ४४८, ४५०, ४५४, ४५५, ४५९, ४७०, ४७१, ४७८, ४७९ एवं ४८५।	१२—४७
परिशिष्ट (प्रश्नों के लिखित उत्तर) : ...	४८—१०४
दैनिक निबन्ध : ...	०५—१०६

(३) आवास गृह खाली कराने हेतु श्री अखिलेश शर्मा को आदेश दिया गया परन्तु उन्होंने आवास गृह खाली नहीं किया और अपर समाहर्ता, पटना के कोर्ट में मुकदमा दायर किया है।

(४) मुकदमें के निर्णय के आलोक में ही कोई कार्रवाई की जा सकती है।

सड़क का पक्कीकरण

३९६. **श्री मोहन सिंह**—क्या मंत्री, लोक निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पलामू जिलान्तर्गत पाटन प्रखंड से मनातू प्रखंड का मुख्य पथ पाटन से चक तक अभी भी कच्ची से पक्की नहीं हुआ है, यदि हां तो सरकार उसे कब तथ पक्की कराना चाहती है।

श्री अनुप लाल यादव वस्तुस्थिति यह है कि पाटन से चक तक की दूरी लगभग २७ मील है, जिसमें पाटन से पदमा (लम्बाई लगभग १२ मील) ही लोक निर्माण विभाग का पथ है, जो एक पक्की सड़क है। शेष अंश पदमा से चक (लम्बाई लगभग १४ मील) कच्ची अवस्था में है तथा लोक निर्माण विभाग में नहीं है। पदमा से चक तक पक्की करण की योजना विभाग के लिए एक नई योजना होगी। विभाग की वित्तीय स्थिति ऐसी नहीं है कि तत्काल कोई नई योजना हाथ में ले सके। अतएव सरकार के लिए यह कहना संभव नहीं है कि कब तक पाटन से चक पथ के कच्चे अंश (पदमा से चक तक) पक्कीकरण हो पायेगा।

चिकित्सक का पदस्थापना।

३९७. **श्री मोहन सिंह**—क्या मंत्री, लोक निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(१) यह बात सही है कि गत सात वर्षों से पलामू जिलान्तर्गत मनातू अंचल में एक भी डाक्टर नियुक्त नहीं हुआ है;

(२) क्या यह बात सही है कि मनातू प्रखंड में डा० नहीं रहने के कारण साधारण रोगों से भी मृत्यु बढ गई है;

(३) यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार वहाँ शीघ्र चिकित्सक का पदस्थापन करने का विचार रखती है यदि हां तो कब तक नहीं तो क्यों ;

श्री जाविर हुसैन--(१) डा० भरत माझी, प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी पार्टन १९७० से २-८-७१ तक समुदायिक विकास प्रखण्ड मनातू में अपने कार्य के अतिरिक्त कार्य देखने के लिए प्रतिनियोजित थे। दि० ३-८-७१ से ३१-१२-७१ तक डा० मो० जमील अहमद वहाँ पदस्थापित रहे। उसके पश्चात पुनः डा० भरत माझी वहाँ १-१-७२ से २३-७-७२ तक प्रतिनियोजित रहे तत्पश्चात २४-८-७२ डा० असीस कुमार घोष वहाँ पदस्थापित हुए, जो ९-७-७५ को वहाँ से स्थानान्तरित होकर चले गये। दि० १-७-७५ से लेसलीगंज के चिकित्सक पदाधिकारी डा० आर० एन० झा मनातू में कार्य करने हेतु प्रतिनियुक्त रहे। डा० नागेन्द्र प्रसाद सिंह दि० १८-८-७६ से १-१०-७६ तक वहाँ पदस्थापित रहे। उसके बाद त्यागपत्र देकर चले गये। डा० उपेन्द्र नारायण सिंह ने दि० ६-५-७७ को वहाँ योगदान दिया किन्तु जून ७७ से अनुपस्थित हो गये है। जिस संबंध में कारवाई हो रही है। अभी मनातु का कार्य पार्टन के प्रखण्ड चिकित्सा पदाधिकारी का अपने कार्यों के अतिरिक्त देख रेख है।

(२) सिविल सर्जन, पलामू से प्राप्त सूचन के अनुसार मनातु प्रखण्ड में १९७० से १९७५ के बीच साधारण रोग से किसी की मृत्यु की सूचना नहीं प्राप्त हुई है। वहाँ बराबर कोई न कोई चिकित्सा पदाधिकारी पदस्थापित या पदाधिकारी प्रतिनियुक्त रहे है।

(३) मनातु प्रखण्ड में चिकित्सा पदाधिकारी के पदस्थापन में के सम्बंध में सरकार सतत प्रयत्नशील है और निकट भविष्य में चिकित्सक पदाधिकारी की पदस्थापना की जायगी।

सड़क का पक्कीकरण

३९८. **श्री कुलदेव गोईत**--क्या मंत्री, लोक निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे--